आपराधिक प्र.क.: 1022 / 2014

<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 1022 / 2014</u> संस्थित दि: 03 / 11 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) —————— अभियोगी

विरुद

हीरालाल मरकाम पिता खेदू मरकाम, उम्र 34 साल, जाति बैगा, निवासी ग्राम भूतना का बैगाटोला थाना बिरसा जिला बालाघाट(म.प्र.)

– – – – – – – आरोपी

—<u>ः: उर्पापण – आदेश ः:</u>–

(आज दिनांक 21/11/2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मर्ग क्रमांक 37/14 जाब्ता फीजदारी धारा 174 के जांच में पाया गया कि हीरालाल मरकाम ने उसकी पत्नी हिरोंदीबाई को लकड़ी एवं लात घुसे से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। जांच उपरांत आरोपी हीरालाल के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र बिरसा में अपराध क्रमांक 118/14 अन्तर्गत धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी हीरालाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

आपराधिक प्र.क.: 1022/2014

- (06) आरोपी को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गई।,
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (08) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूध्द होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 04.12. 2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

